प्रेषक,

महत्वपूर्ण/ई-मेल

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: /सा0-1/एक्स-120(187)/रा0यो0(5)2015-16, दिनांक: जुलाई, 2015

विषय: **05-पशुरोग अनुसंधान तथा निदान सेवाओं का विस्तार(रा0यो0)के वित्तीय वर्ष-2015-16 के अन्तर्गत आवंटित धनराशि को व्यय/उपयोग करने हेतु दिशा निर्देश।**

महोदय,

कृपया पशुधन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0-43/2015/11928/सैतीस-2-2015-1(18)/12टीसी दिनांक: 16 जुलाई, 2015 द्वारा 05-पशुरोग अनुसंधान तथा निदान एवं सेवाओं का विस्तार (रा0यो0) के अन्तर्गत धनराशि रू0-100.00लाख वित्तीय स्वीकृत निर्गत की गई है। जिसका आवंटन आन लाइन एवं हार्ड कापी के माध्यम से किया जा रहा है। उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ आवंटित धनराशि को व्यय करने विषयक निम्नलिखित आवश्यक दिशा-निर्देशों निर्गत किये जा रहे है। जिसका अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें:-

1. विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित सूची के बाहर से क्रय की जाने वाली दवाओं/उपकरणों/सामग्री एवं फर्नीचर आदि का क्रय वर्तमान स्थानीय बाजार दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. आवंटित धनराशि का व्यय योजना में निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जाए।
3. विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित सूची से क्रय किये जाने पर किसी से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
4. योजनानतर्गत क्रय किये गये सामानों को प्राप्त करने के पश्चात उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, सदर अपने मुख्य पशुचिकित्साधिकारी से स्टाक सत्यापन के उपरान्त संस्थाओं को वितरित करेंगे। अन्य किसी अधिकारी से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।
5. विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित सूची के बाहर से क्रय की जाने वाली दवाओं/उपकरणों एवं अन्य सामग्री आदि के क्रय के लिए जिला क्रय समिति अथवा विभागाध्यक्ष से सूची पर अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। किसी अन्य अधिकारी से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं हैं।
6. फर्म जनपद के जिला उद्योग केन्द्र के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। ऐसी फर्मों के माध्यम से ही क्रय किया जायेगा।
7. फर्म का आयकर रिटर्न विगत वर्ष-2013-14 तक जमा होना चाहिए तथा साक्ष्य के रूप में कोई अभिलेख उपलब्ध हो।
8. फर्म का वर्ष-2013-14 तक का वाणिज्य कर विभाग में वैट टैक्स जमा का अदेयता प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।
9. जिन फर्मो के पास तीनों प्रमाण-पत्र उपलब्ध नही है, उन फर्मो को क्रय आदेश कदापि न निर्गत किये जायें।
10. जनपद हेतु विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि से निदेशालय स्तर पर गठित विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा दवाओं, उपकरणों एवं सामग्री आदि का क्रय अनुमोदित सूची के अनुसार ही क्रय भण्डार नियमावली के अन्तर्गत किया जायेगा।
11. योजनान्तर्गत फावड़ा, हाथ धोने का लिक्यूड, वेटनरी किट, प्लास्टिक कुर्सी, ताले तथा ऐसे सामान जिनका पशुचिकित्सालयों पर उपयोग न हो, क्रय नहीं किया जायेगा।
12. जिन मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों की एक माह की सेवा अवशेष बची रह गई है। ऐसे अधिकारी आवंटित धनराशि कदापि व्यय नहीं करेंगे। यदि कोई अधिकारी धनराशि का व्यय कर लेता है, तो योजना के परीक्षणोपरान्त वित्तीय अनियमिततायें पाई जाने पर धनराशि की वसूली उनकी ग्रेच्युटी से की जायेगी। यदि क्रय किया जाना अपरिहार्य है, तो **अधोहस्ताक्षरी से क्रय हेतु अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।**

13. **योजना** अन्तर्गत क्रय हेतु टेण्डर करने से पूर्व योजनाधिकारियों से टेण्डर पर अनुमोदन प्रापत किया जाना अनिवार्य **होगा।** तत्पश्चात टेण्डर नियमानुसार करेंगे। टेण्डर 2 स्थानीय एवं 3 राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा। **प्रकाशित** विज्ञप्ति टेण्डर पड़ने की तिथि से एक सप्ताह पूर्व संबंधित योजनाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

14. **योजना** में आवंटित धनराशि के व्यय करने हेतु अन्य योजना के लिए क्रय किये गये टेण्डर इस योजना पर लागू नही **होंगें।** धनराशि के व्यय/क्रय हेतु पुनः टेण्डर करना होगा।

15. **किसी भी योजना में रू0 1.00 लाख से अधिक तथा रू0 10.00 लाख की सीमा तक आवंटित धनराशि को व्यय करने हेतु शासनादेश के अनुरूप विभागाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त की जायेगी। तथा धनराशि रू0-10.00 लाख से अधिक है, तो व्यय हेतु अनुमति शासन स्तर से प्राप्त कराना होगा।**

16. **शासन** द्वारा क्रय से संबंधित समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों/नियमों का अक्षरशः पालन **सुनिश्चित** किया जायेगा।

यह आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

भवदीय

(रूद्र प्रताप)
निदेशक

पत्रांक: /सा0-1/एक्स-120(187)/रा0यो0(5)/2015-16 दिनाँक: जुलाई 2015

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- **समस्त** अपर निदेशक (ग्रेड-2), मण्डल, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. **वित्त** एवं लेखाधिकारी(आडिट)मुख्यालय।
3. **वरिष्ठ** सम्परीक्षक, आडिट अनुभाग, मुख्यालय।
4. **प्रमुख** सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय लखनऊ।

(रूद्र प्रताप)
निदेशक